वित्त निर्देश 49/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 1533/एल 11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार रायपुर, दिनांक 13.10.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/आयोग/ अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/विकास प्राधिकरणों, जो स्थापना व्यय या अन्य व्यय हेतु राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करती है, यदि अपने स्वयं के स्त्रोत से संस्था के नियमित कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 का लाभ प्रदाय करना चाहते हैं, तो अपनी संचालक मण्डल की सहमति से ऐसा कर सकते हैं । शर्त यह होगी कि संबंधित उपक्रम संचित लाभ की स्थिति में हो तथा नये वेतनमान स्वीकृत होने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति अपने संसाधनों (वर्तमान में एवं भविष्य में भी) से करें, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता नहीं दी जाएगी, नये वेतनमान के फलस्वरूप उपक्रम के विकासात्मक एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा राज्य शासन को दिया जाने वाला लाभांश भी यथावत् रहेगा । लाभ की स्थिति की पुष्टि का उत्तरदायित्व उपक्रम के प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा तथा जिस बैठक में उक्त वेतनमान संबंधी निर्णय लिया जाएगा, उस बैठक में वित्त विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी। संचालक मंडल में मत भिन्नता होने पर राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति उपरांत निर्णय लिया जाएगा ।

2. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन से अनुदान प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/विकास प्राधिकरणों/अर्धशासकीय संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.11.2011 से इसका आर्थिक लाभ दिया जाए, अर्थात् 01.01. 2006 से 31.10.2011 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ 01.11.2011 से देय होगा एवं एरियर्स देय नही होगा । विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त

संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा छः माह की अवधि में अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन से शत-प्रतिशत स्थापना अनुदान प्राप्त करने वाली अशासकीय संस्थाओं के नियमित कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षण करते हुए दिनांक 01.11.2011 से आर्थिक लाभ दिया जाए, अर्थात् 01.01.2006 से 31.10.2011 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ 01.11.2011 से देय होगा एवं 01.11.2011 के पूर्व अवधि हेतु किसी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नही होगी । विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जॉच स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा छः माह की अवधि में अनिवार्य रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 1534/एल 11-2/वित्त/2010/बजट-4/चार रायपुर, दिनांक 13.10.2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

शोध अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2011\Doc File\49.doc